

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री कुंदन कुमार, पिता-श्री प्रभास कुमार सिंह, ग्राम-रामपुर, डाकघर-रामपुर, थाना-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय द्वारा नालंदा क्लस्टर- 01 बालू घाट सकरी एवं सोइवा नदी पर बालू घाट, मौजा-कुल्ती एवं तिउरी, डाकघर-सारे एवं तिउरी, थाना-सारे एवं मानपुर, अंचल-अस्थावां एवं बिहारशरीफ, जिला-नालंदा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 12.09.2026 को अपराह्न 04:30 बजे नालंदा जिला के अंचल कार्यालय, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/3830/2026, dated 09.06.2026 के आलोक में श्री रंजन कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नालंदा (जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 12.09.2026 को अपराह्न 04:30 बजे अंचल कार्यालय, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नालंदा V.C. के माध्यम से उपस्थित हुए। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सागर, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के माध्यम से दिनांक 12.08.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (70 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री सुनील कुमार, सारे, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि अगर किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो जिम्मेवारी किनकी होगी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन के दौरान एवं बालू के परिवहन के दौरान किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना होने पर बालू घाट के संचालक की जिम्मेवारी होती है। श्रम विभाग के प्रावधानों के तहत मुआवजा इत्यादि का भुगतान किया जाता है।
2.	श्री राजू कुमार, बेनार, अस्थावाँ, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में वृक्षारोपण कहाँ किया जायेगा एवं कितने पेड़ लगाये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 69 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ों की सुरक्षा एवं रख-रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस-पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख-रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा। साथ-ही-साथ स्थानीय गाँव के लोगों अपनी निजी जमीन पर पेड़ लगाना चाहेंगे तो वह संवेदक से सम्पर्क कर सकते हैं।
3.	राजा कुमार, सारे, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना में जो रोजगार मिलेंगे वह किनके माध्यम से मिलेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट शुरू होते ही परियोजना प्रस्तावक के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। जिनकी जैसी योग्यता होगी, उनको वैसा रोजगार दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जाना सुनिश्चित की जाय। 1 मीटर से अधिक गहड़ा होने से दुर्घटना हो जाती है।

पानी का छिड़काव सुनिश्चित हो। पेड़ लगाना सुनिश्चित हो। रात में बालू का परिवहन होने से रात में ध्वनि प्रदूषण होगा, इसका नियंत्रण हेतु नियमानुसार उपाय सुनिश्चित किया जाय। परिवहन के दौरान सड़क पर पानी नहीं चूना चाहिए। बालू की निकासी परियोजना क्षमता से अधिक न हो। बालू भण्डारण हेतु Secondary Point गाँव/मंदिर/मस्जिद/श्मशान आदि के नजदिक न हो। रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। लोक-सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव के आलोक में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31
13-9-26

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, पटना

13/9/26

अपर समाहर्ता
आपदा प्रबंधन,
नालंदा

उपस्थिति सूची

श्री कुंदन कुमार, ग्राम-रामपुर, डाकघर-रामपुर, थाना-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय द्वारा नालंदा क्लस्टर- 01 बालू घाट सकरी एवं सोइवा नदी पर बालू घाट, मौजा-कुल्टी एवं तिउरी, डाकघर-सारे एवं तिउरी, थाना-सारे एवं मानपुर, अंचल-अस्थावां एवं बिहारशरीफ, जिला-नालंदा से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक- सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा दिनांक 12.09.2026 समय-04:30 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	~~Ramjan (Kulcha)~~	~~ADP (L.P.M.) Nalanda~~	~~VC 1 12/9/26~~
2.	आशीष कुमार गुप्ता	इंडस प्रॉड बि.टी.डी. नि. पसर, पटना	12-5-26
3.	Narendu Singh	MDO, Nalanda	12/09/26
4.	नीतिश कुमार	Agis Env. Res. Pvt Ltd (Env. Consultant)	Nitish K.
5.	ज्योतिष कुमार	Indus Mining, Patna Consultancy	Jyotish Kumar
6.	अमित कुमार	M/S Kundan Kumar	Kundan
7.	राज्या कुमार	सकरी	राज्या कुमार
8.	Sunil Kumar	Sare	Sunil Kumar
9.	Sikendar Kumar	MANPUR Bihar Sahar	Sikendar Kumar
10.	Ranjeet Kumar	Harwarra	Ranjeet K.
11.	Ranjeet Kumar	PAWAPUR	Ranjeet Kumar
12.	Harsh Kumar	Wena	Harsh Kumar
13.	राजू कुमार	वेना	राजू कुमार
14.	राहुल कुमार	कुमरावा	राहुल कुमार
15.			